बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–6B / प्रा0आ0–1020 / 19 (पार्ट–1)– 241

प्रेषक,

पंकज कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार।

पटना / दिनांकः– 21/2/25

विषयः *आगामी गर्मी मौसम 2025 के दौरान पेयजल समस्या से निजात हेतु पूर्व तैयारी के तहत अकार्यरत चापाकलों के नियमित रूप से मरम्मति एवं संपोषण कार्य, कैटल ट्रफ की क्रियाशीलता, सुखाग्रस्त (Water Scarce) क्षेत्रों में टैंकर संचालन एवं आपदा मद अन्तर्गत स्वीकृत हैण्ड पंप के कार्यान्वयन से संबधित दिशा–निर्देश।*

प्रसंगः विभागीय पत्रांक–207, दिनांक 23.02.24, पत्रांक–261, दिनांक–21.03.2023, पत्रांक–480, दिनांक–12.05.2022, पत्रांक–344, दिनांक–22.04.2022, पत्रांक–410, दिनांक–18.05.2023, पत्रांक–275, दिनांक–26.02.2021, पत्रांक–1116, दिनांक–09.12.2021, पत्रांक–1114, दिनांक–09.12.2021 एवं पत्रांक–307, दिनांक–04.03.2020

महोदय,

गर्मी के मौसम में अनेक जिलों के सुखाग्रस्त हिस्सों में भूजल स्तर में गिरावट के कारण उत्पन्न पेयजल की गंभीर समस्या से निपटने हेतु निम्न बिन्दुओं पर तैयारी / समीक्षा करेगेः–

1. जिला में भूजल स्तर की स्थिति,
2. जिला में चापाकलों के मरम्मति की स्थिति (सर्वेक्षण में पाये गये कुल मरम्मति योग्य चापाकल की संख्या एवं अब तक की गई कुल मरम्मति, विद्यालय, महादलित टोला एवं माननीय MLAs/MLCs से प्राप्त सूची के अनुसार में चापाकलों की मरम्मति की स्थिति)
3. Water scarce पंचायतों में PHED और PRD की योजनओं में जलापूर्ति की स्थिति (उत्तर बिहार में >25 फीट और दक्षिण बिहर में >35 फीट भूजल स्तर वाले पंचायत)
4. Water Scarce पंचायतों में चापाकल की कार्यशीलता की स्थिति
5. Water Scarce पंचायतों में PHED की जलापूर्ति योजना के कार्यरत नहीं होने की स्थिति में गाँवों में, विद्यालयों, महादलितों टोलों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल पर टैंकर में माध्यम से जलापूर्ति की स्थिति
6. राज्य योजना मद एवं आपदा मद अंतर्गत स्वीकृत नये चापाकल को गाड़े जाने की स्थिति
7. विभाग द्वारा निर्मित तथा पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित 'हर घर नल का जल' योजनाओं की कार्य स्थिति (functionality)

<u>विस्तृत दिशा निर्देशः–</u>

1) <u>चापाकलों के नियमित मरम्मति एवं संपोषण हेतुः–</u>

(i) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्व के वर्षो में मुख्यमंत्री चापाकल योजना, अपदा प्रबंधन योजना तथा अन्य योजनाओं के तहत चापाकलों का निर्माण कराया गया है। इन चापाकलों की क्रियाशीलता को बनाये रखने हेतु इनकी नियमित मरम्मति एवं संपोषण आवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

चापाकलों का मरम्मति संपोषण कार्य हेतु पंचायत को यूनिट मानते हुए उस पंचायत में अकार्यरत सभी हैण्ड पम्पों का आकलन कर उनकी मरम्मति करायें। चापाकलों के मरम्मति हेतु बन्द/अकार्यरत चापाकलों की विवरणी अपने–अपने क्षेत्र के माननीय सांसद/माननीय विधायक/माननीय विधान पार्षद एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से भी संपर्क स्थापित कर प्राप्त की जाए। मरम्मति कार्य हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति बसावटों, विद्यालयों, आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं सार्वजनिक स्थलों पर अकार्यरत चापाकलों की मरम्मति को प्राथमिकता दिया जाय। निजी चापाकलों की मरम्मति विभाग द्वारा नहीं कराया जाना है। चापाकलों की मरम्मति के दौरान अगर कोई भी चापाकल मरम्मति योग्य नहीं (defunct/outlived) पाये जाते है तो उसे स्थल से विलम्ब हटाया जाय। Defunct चापाकलों को स्थल से हटाये जाने के संबंध में पूर्व में ही दिशा निदेश दिए जा चुके हैं।

(ii) सभी कार्यपालक अभियंता इस कार्य का भी आकलन कर लेंगे की जिन ग्रामों/टोलों में जलस्तर नीचे जा रहा है उसमें राईजर पाईप बढ़ाकर चापाकलों को कार्यरत रखा जाय तथा इस हेतु पर्याप्त मात्र में पाईप का व्यवस्थापन भी सुनिश्चित किया जाए।

(iii) अपने प्रमंडल में अकार्यरत चापाकलों की संख्या के अनुसार मरम्मति दल की संख्या का आकलन कर चापाकलों की मरम्मति संपोषण का कार्य अभियान चलाकर प्रारंभ कराया जाय। चापाकलों के रिपेयरिंग हेतु मोटरसाईकिल/बैट्रीचालित रिक्शा का भी उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है (अनुलग्नक–1)।

(iv) प्रत्येक जिला में मार्च 2025 के दुसरे सप्ताह से पूर्व मरम्मति दलों को जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर समस्याग्रस्त प्रखण्डों/पंचायतों में रवाना करायी जाए और इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी कराया जाए ताकि ग्रामीणों को मरम्मति दल के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके।

(v) मरम्मति दल को रवाना करने के पूर्व कार्यपालक अभियंता पंचायतवार/प्रखण्डवार बंद चापाकलों को चिन्हित कर उसकी सूची मरम्मति दल को उपलब्ध कराऐंगे। साथ ही मरम्मति दल से दैनिक रूप से मरम्मति किये गये चापाकल का प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय तथा अगले दिन उन्हें नये बंद चापाकलों की सूची उपलब्ध करायी जाय।

(vi) मरम्मति दल और उनके क्षेत्र निर्धारण से संबंधित आदेश कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा निर्गत किया जाय। कार्यपालक अभियंता रिपेयरिंग दल का दैनिक परिचालन पंजी (log book) अपने यहाँ संधारित करेंगे। प्रत्येक प्रमंडल अपने–अपने क्षेत्र में चापाकलों के मरम्मति हेतु गठित रिपेरिंग दल से संबंधित जानकारी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में संलग्न प्रपत्र के अनुसार प्रकाशित करायेंगे।

(vii) कृत कार्यो का दैनिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक दिन नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करायेंगे।

(viii) पूर्व वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में एक नई शिकायत पंजी का संधारण किया जाय एवं उसके custodian का नाम एवं मोबाईल नम्बर प्रखण्ड कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाय।

(ix) चापाकलों के मरम्मति करने के उपरान्त उसकी प्रविष्टि online portal पर कार्य करने के अधिकतम अगले दिन तक कर लिया जाय तथा कृत कार्य का

Scanned with OKEN Scanner

सामाजिक प्रमाणिकरण (Social Certification) मरम्मति के दौरान ही प्राप्त कर उसे भी upload किया जाय। Social Certification की तिथि ही मरम्मति की तिथि मानी जायेगी। कृत कार्यो से संबंधित आवंटन online portal पर मरम्मति की प्रविष्टि एवं सामाजिक प्रमाणिकरण के आधार पर ही दिया जायेगा इसलिए मरम्मति दलों से वांछित सूचना सरागय प्राप्त कर उसका ससमय uploading कराने की सुदृढ़ व्यवस्था कायम की जाय।

(x) पूर्व की भाँति प्रत्येक प्रमंडल अपने–अपने कार्यालय में चापाकलों के मरम्मति संपोषण से संबंधित शिकायत प्राप्त करने हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे तथा इसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेंगे।

(xi) आपदा मद अन्तर्गत स्वीकृत चापाकलों को समसय Water Scarce चिन्हित पंचायतों में ही अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करेंगे।

2) गुणवत्ता प्रभावित चापाकलों को लाल रंग से रंगनाः–

राज्य के आर्सेनिक, फ्लोराईड तथा लौह प्रभावित क्षेत्रों के कतिपय चापाकलों से अनुमान्य से अधिक आर्सेनिक, फ्लोराईड तथा लौह पाया जाता है।

राज्य के गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण बसावटों में सार्वजनिक/निजी चापाकलों की जल गुणवत्ता जाँच कर अनुमान्य सीमा से अधिक आर्सेनिक/फ्लोराईड/आयरन पाये जाने वाले पेयजल स्रोतों को चिन्हित कर उन्हें लाल रंग से रंगने का निदेश पूर्व में निर्गत है।

अतः जनसमुदाय के बीच पेयजल में आर्सेनिक/फ्लोराईड/आयरन की अनुमान्य सीमा से अधिक होने के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव के बारे में जागरूक करने, तथा पेयजल के रूप में स्रोत का उपयोग नहीं करने हेतु जागरूकता बढाने तथा चिन्हित पेयजल स्रोत का लाल रंग से रंगने का समयबद्ध अभियान चलाया जाय।

3) विद्यालयों/आंगनबाड़ी केन्द्रो में पेयजल की उपलब्धताः–

गर्मी के दिनों विद्यालयों में पेयजल की उपलब्धता में कठिनाई होने के कारण मध्याहन भोजन बनने एवं छात्रों को पेयजल की समस्या उत्पन्न होती है।

अतः निदेश है कि विद्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्रों का भ्रमण कर अकार्यरत चापाकलों को यथाशीघ्र मरम्मति कराकर चालू कराना सुनिश्चित करेंगे तथा हर घर नल का जल योजना का टैप कनेक्शन को क्रियाशील रखना सुनिश्चित करेंगे।

4) कटैल ट्रफ (पशु प्याऊ) की क्रियाशीताः–

भीषण गर्मी के मद्देनजर पशुओं के लिए पेयजल की सतत् उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है।

पशुओं के पेयजल की व्यवस्था हेतु कुल 261 अदद कैटल ट्रफ (पशु प्याऊ) का निर्माण विभाग द्वारा करया गया है। अतः निदेश है कि निर्गित सभी कैटल ट्रफ की कार्यशीतला का भौतिक सत्यापन कराकर जहाँ मरम्मति की आवश्यकता है वहाँ मरम्मति कराकर उन्हें कार्यशील बनाये रखना सुनिश्चित करेंगें। मरम्मति का कार्य नियमानुसार सम्पादित कराया जायेगा (अनुलग्नक–2)।

5) सुखाग्रस्त (Water Scarce) पंचायतों में टैकर का संचालनः–

सुखाग्रस्त पंचायतों में जलस्तर काफी नीचे चले जाने के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वैसे पंचायत जिसमें जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य पूर्व से नहीं कराया जा सका है में छूटे हुए टोलों अंतर्गत स्वीकृत योजना से प्राथमिकता के आधार पर जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य कराया जाय। तथा जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए साथ ही प्राथमिकता के आधार

Scanned with OKEN Scanner

पर वांछित राइजर पाईप के साथ नये चापाकल का निर्माण कार्य कराया जाय अथवा पूर्व से अधिष्ठापित चापाकलों की मरम्मति कराकर चालू रखा जाए।

उक्त क्रियान्वयन के पश्चात् भी अगर सुखग्रस्त पंचायतों में जल स्तर काफी नीच चले जाने के कारण जलापूर्ति योजना/चापाकल कार्यरत नहीं होने की स्थिति में गाँवों, महादलित टोलों इत्यादि में टैंकर से जलापूर्ति ही एक मात्र विकल्प बच जाता है। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर इन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल पर टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति हेतु रूट चार्ट तैयार कर उनमें आवश्यकतानुसार टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

6) 'हर घर नल का जल' योजनाओं की क्रियाशीता:–

विभाग द्वारा निर्मित तथा पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित 'हर घर नल का जल' योजनाओं से ग्रामीणों का नियमित एवं निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इसे सदैव क्रियाशील बनाए रखना आवश्यक है। सभी योजनाओं की क्रियाशीलता का नियमित रूप से अनुश्रवण (Monitoring) करते हुए सभी योजनाओं को चालू रखी जाय ताकि ग्रामीणों को शुद्ध जलापूर्ति की जा सके।

योजनाओं के अक्रियाशील होने की स्थिति में विभाग द्वारा निर्गत अनुदेश (Grievance Redressal Time Line) के आलोक में निर्धारित अवधि के भीतर योजनाओं को चालू करना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक–यथोपरि।

विश्वासभाजन

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 241 पटना, दिनांक– 21/02/25

प्रतिलिपि: सभी अधीक्षण अभियंता/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेशित किया जाता है कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत कृत कार्यो का नियमित पर्यवेक्षण करेंगे तथा समीक्षात्मक बैठक का प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 241 पटना, दिनांक– 21/2/25

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने जिलान्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के साथ आगामी गर्मी के दौरान पेयजल समस्या से निजात हेतु उपरोक्त बिन्दुओं पर समीक्षा कर ली जाय।

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र–1

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

जिला का नाम–

जिलों में कार्यरत चापाकल मरम्मति दल की जानकारी

मरम्मति दल संख्या	मरम्मति दल के सुपरवाईजर का नाम	मोबाईल नं0		कार्यक्षेत्र	संबंधित कनीय अभियंता का नाम	मोबाईल नं0
1	2	3		4	5	6
1			पंचायत–	1.		
				2.		
				3.		
				4.		
				5.		
2			पंचायत–	1.		
				2.		
				3.		
				4.		
				5.		
3			पंचायत–	1.		
				2.		
				3.		
				4.		
				5.		
4			पंचायत–	1.		
				2.		
				3.		
				4.		
				5.		
5			पंचायत–	1.		
				2.		
				3.		
				4.		
				5.		

Scanned with OKEN Scanner

कैटल ट्रफ की कार्य स्थिति का भौतिक सत्यापन प्रपत्र							
जिला				लोक स्वास्थ्य प्रमंडल			
प्रखण्ड				पंचायत			
गाँव		वार्ड		स्थान जहाँ कैटल ट्रफ निर्मित है		Cat-1 or other	

कैटल ट्रफ की अवयव वार कार्य स्थिति	निरीक्षण टिप्पणी
1. हॉज या नाद	
2. डी0 सी0 मोटर पम्प क्षमता:.....एच0पी0	
3. सोलर पैनल	
4. यदि कार्यरत है, तो रोजना कितने घंटे के लिए मोटर पम्प चलाया जाता है (अवधि और समय अंकित करें)	
5. औसतन कितने पशुओं को इसका लाभ मिल रहा है? पशुपालक परिवार की संख्या: पशुओं की संख्या:	
6.बेकार पानी के निष्पादन की क्या व्यवस्था की गई है?	
7.नाद के समीप साफ–सफाई और रख–रखाव की जवाबदेही किसकी है? नाम, पता और मोबाईल नम्बर अंकित करें।	
8.यदि कैटल ट्रफ अकार्यरत है तो * कारण: * कब से अकार्यरत है?: * क्या इसकी सूचना प्रमंडल को है? यदि हाँ तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?	

(कनीय अभियंता, लो0 स्वा0 प्रशाखा) (प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी / टी0वी0ओ0)

निरीक्षण की तिथि एवं हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner